



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 भाद्र, 1942 (श०)

संख्या- 450 राँची, मंगलवार,

22 सितम्बर, 2020 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

21 सितम्बर, 2020

अधिसूचना संख्या-08/निकाय/05/2019/न.वि.आ.-2306-- श्री सुनील कुमार पासवान, महापौर, गिरिडीह नगर निगम के पक्ष में निर्गत जाति प्रमाणपत्र को सक्षम प्राधिकार के स्तर से रद्द कर दिया गया है। उक्त कार्रवाई पर नगर आयुक्त, गिरिडीह नगर निगम से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के नियम 4.4, 4.5 के प्रावधानों के अनुरूप संबंधित जनप्रतिनिधि से बचाव-बयान प्राप्त किया गया है। उक्त बचाव-बयान की विभागीय समीक्षोपरान्त यह पाया गया है कि नियमावली के नियम 3.16 के अधीन श्री पासवान उक्त जनप्रतिनिधि के पद को धारण करने के अयोग्य हैं एवं झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 में नियम-3.16 के अधीन उनकी सदस्यता समाप्त किये जाने का मामला प्रथम दृष्टया बनता है।

2. झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के आलोक में नियमावली की कंडिका के 4.7 के प्रावधानों के अंतर्गत श्री पासवान के विरुद्ध गठित आरोप एवं उनसे प्राप्त बचाव-बयान की सुनवाई हेतु विभाग स्तर पर दो सदस्यीय जाँच समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

क्र.	नाम/पदनाम	
i	श्री अरुण कुमार रतन, अपर सचिव	जाँच पदाधिकारी
ii	श्री लाल हेमन्त नाथ शाहदेव, अवर सचिव	प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी

3. विभाग के संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/नगर प्रबंधक उक्त विभागीय समिति को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
4. नियमावली की कंडिका-4.8 एवं 4.9 के आलोक में विभागीय जाँच समिति गजट अधिसूचना निर्गत तिथि से निर्धारित अवधि (45 दिन) में जाँच प्रतिवेदन विभागीय सचिव को समर्पित करेगी, जिसपर अनुवर्ती कारवाई नियमावली के प्रावधानों के अनुसार की जायगी।
5. अधिसूचना प्रारूप पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार रतन,
सरकार के अपर सचिव।
